<u>प्रेस नोट जनपद खीरी</u>

<u>दिनाँक 21.11.20</u>

पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी के निर्देशन एवं अपर पुलिस अधीक्षक महोदय के निकट पर्यवेक्षण में जनपद में अपराध नियंत्रण व अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के दौरान विगत 24 घंटे में जनपद के विभिन्न थानों द्वारा निम्न कार्यवाही की गयीः-

<u>थाना फूलबेहड़ के ग्राम मिदनिया में 13 वर्ष पूर्व हुई खूनी मुठभेड़ में एक पक्ष के 09 व्यक्तियों को उम्रकैद व दूसरे पक्ष के भी 09 व्यक्तियों को 5-5 वर्ष की सजा सुनाई गई</u>

थाना फूलबेहड़ के गांव मिदनिया में मई 2007 को मक्का काट लेने के विवाद में दो पक्षों में खूनी मुठभेड़ हुई थी जिसमें एक व्यक्ति की दौराने इलाज मृत्यु हो गई थी। इस घटना को लेकर दोनों पक्षों द्वारा एक-दूसरे पक्ष के विरुद्ध हत्या, मारपीट व हमला करने का आरोप आदि मामलों में रिपोर्ट दर्ज करायी थी इस संबंध में थाना फूलबेहड़ पुलिस द्वारा सभी आरोपियों के विरुद्ध आरोप पत्र दाखिल कर दिया था। इस संबंध में मा0 न्यायालय खीरी द्वारा हत्या के मामले में चेतराम, परशुराम, देवीदीन, रामचन्द्र, रामशंकर, ओमप्रकाश, शेषराम ,रामकुमार और जगतपाल को दोष सिद्ध पर आजीवन कारावास की सजा व सभी आरोपियों को 26-26 हजार अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है और मारपीट के मामले के आरोपी इजहार, लतीफ, अतहर, इसरार, इस्माइल, रहीस, परधानी, अनीश और श्यामू को दोषसिद्ध पर 5-5 साल के कारावास व 5-5 हजार के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।

थाना पसगवां पुलिस द्वारा 02 शातिर अपराधियों के विरुद्ध की गई 2/3 यूपी गैंगस्टर की कार्यवाही

पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी के निर्देशन व अपर पुलिस अधीक्षक महोदय के निकट पर्यवेक्षण में संपूर्ण जनपद में अपराध व अपराधियों की की रोकथाम के अंतर्गत थाना पसगवां पुलिस द्वारा 02 शातिर अभियुक्तों 1. इस्लाम पुत्र जलील नि0 चेना थाना मझिला जनपद हरदोई 2. सुमिन्द्रर उर्फ लाल पुत्र सुखपाल नि0 ढकिया बड़गुर्जर थाना पसगवां खीरी के विरुद्ध 2/3 यूपी गैंगस्टर एक्ट की कार्यवाही की गई। अभियुक्तगण द्वारा समाज विरोधी क्रिया-कलापों में संलिप्त रहकर वाहन चोरी जैसे अपराध कर अनुचित धन अर्जित करते है। इस संबंध में थाना पसगवां पर मु0अ0सं0 506/20 धारा 2/3 यूपी गैंगस्टर एक्ट की कार्यवाही की गई।

थाना खीरी पुलिस द्वारा सार्वजनिक स्थान पर जुआ खेलते हुए 03 अभियुक्तों का गिरफ्तार किया गया

पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन व अपर पुलिस अधीक्षक महोदय के निकट पर्यवेक्षण में संपूर्ण जनपद में अवैध क्रिया-कलापों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत थाना खीरी पुलिस द्वारा 03 अभियुक्तों 1. सुरेश पुत्र रामस्वरुप 2. सतीश पुत्र रामप्रसाद 3. सलामत पुत्र मोहर्रम नि0गण नकहा थाना व जनपद खीरी को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से कुल 1230 रुपये व 52 अदद ताश के पत्तें बरामद किए गए। उक्त बरामदगी व गिरफ्तारी के आधार पर मु0अ0सं0 596/0 धारा 13 जुआ अधि0 पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गई।

<u>थाना खीरी पुलिस द्वारा अभियुक्त रामू मिश्रा को अवैध तमंचा व कारतूस सहित किया गया गिरफ्तार</u>

पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी श्री विजय ढुल के निर्देशन में सम्पूर्ण जनपद में अपराध की रोकथाम व अवैध शस्त्रों के निर्माण, बिक्री व परिवहन के विरूद्ध चलाए जा रहे अभियान के दौरान थाना कोतवाली सदर पुलिस द्वारा अभियुक्त रामू मिश्रा पुत्र पुत्तू लाल मिश्रा नि0 चौफेरी थाना व जनपद खीरी को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 01 अदद देशी तमंचा 315 बोर व 01 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर बरामद किया गया।

थाना कोतवाली सदर पुलिस द्वारा अभियुक्त श्यामू को अवैध तमंचा व कारतूस सहित किया गया गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी श्री विजय ढुल के निर्देशन में सम्पूर्ण जनपद में अपराध की रोकथाम व अवैध शस्त्रों के निर्माण, बिक्री व परिवहन के विरूद्ध चलाए जा रहे अभियान के दौरान थाना कोतवाली सदर पुलिस द्वारा अभियुक्त श्यामू यादव पुत्र स्व0 भोला यादव नि0 जन्नी थाना कोतवाली सदर खीरी को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 01 अदद देशी तमंचा 12 बोर व 01 अदद जिन्दा कारतूस बरामद किया गया। उक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर मु0अ0सं0 1256/20 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया।

वांछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी

पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी के निर्देशन मे व अपर पुलिस अधीक्षक खीरी के निकट पर्यवेक्षण में सम्पूर्ण जनपद में अपराध की रोकथाम व वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के दौरान जनपद के विभिन्न थानों द्वारा कार्यवाही करते हुए निम्नलिखित अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया-

- थाना निघासन पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 840/20 धारा 354/341/343/504/506 भादवि में वांछित अभियुक्त लाहौरा सिंह पुत्र प्रीतम सिंह नि0 खैरतिया थाना तिकुनिया खीरी को गिरफ्तार किया गया।